



Neutral Citation No. – 2026:AHC:340

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 5312 वर्ष 2025

दशरथ सिंह	:	याचिकाकर्ता
		बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य		उत्तरदाता
याचिकाकर्ता के वकील		मनोज कुमार, राम जियावन यादव
प्रतिवादी के वकील	:	सीएससी, दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक गौर की दलीलें सुनीं।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज (प्रतिवादी संख्या 2) को यूपीजेडए की धारा 331 के तहत मामला संख्या आरईवी/3818/2022 (कंप्यूटर केस संख्या AL20220645003818) (मोतीलाल बनाम दशरथ सिंह और अन्य) का निर्णय करने का आदेश और निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

एलआर अधिनियम के तहत लंबित मामलों को, अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

3. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि यूपीजेडए की धारा 229-बी के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तहत कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण याचिका...निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर एलआर अधिनियम याचिका 2022 से प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है। उन्होंने इसकी प्रति भी प्रस्तुत की। लंबित कार्यवाही की आदेश पुस्तिका प्रस्तुत करना यह प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि मामले की कार्यवाही में तेजी नहीं आ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज को उपरोक्त कार्यवाही को यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 2 माह की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार, तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।

5 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"